

नागरिक समाज संगठनों की भूमिका की पुनर्कल्पना

यह संपादकीय 14/10/2024 को हदिसतान टाइम्स में प्रकाशित [?] [?] [?] “[Civil society organizations too need to be accountable](#)” पर आधारित है। यह लेख भारत में नागरिक समाज संगठनों के बीच जवाबदेही की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाता है, इस बात पर जोर देता है कि सार्वजनिक नीति पर उनका प्रभाव कानूनी मानकों के अनुपालन पर आधारित होना चाहिये। वदेशी योगदान वनियमन अधिनियम के हालिया उल्लंघन ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

प्रलिस के लिये:

नागरिक समाज संगठन, वदेशी अंशदान वनियमन अधिनियम, 2010, सूचना का अधिकार (RTI), दवियांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016, चुनावी बॉण्ड योजना, डेमोक्रेटिक रफ़ॉर्मस एसोसिएशन, स्व-नियोजित महिला एसोसिएशन, आधार, मज़दूर किसान शक्ति संगठन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व।

मेन्स के लिये:

भारत में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, भारत में नागरिक समाज संगठनों से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारत में, **नागरिक समाज संगठन** सामाजिक न्याय और नीति सुधार के समर्थन हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फरि भी वे **प्रायः अपवादवाद के आवरण में कार्य करते हैं तथा कानूनी जाँच का होने पर राज्य द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। यह द्वंद्व जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।**

वदेशी अंशदान वनियमन अधिनियम, 2010 के उल्लंघन के लिये कुछ थकी टैंक के खिलाफ हाल ही में की गई कार्रवाई उनके संचालन में अनुपालन और पारदर्शिता के महत्त्व को रेखांकित करती है। सार्वजनिक नीति और राय को प्रभावित करने वाली संस्थाओं के रूप में, सीएसओ को जनता का विश्वास बनाए रखने तथा नागरिक समाज की अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु **अपने व्यवहार को लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं कानूनी शासन के अनुरूप करना चाहिये।**

भारत में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका क्या है?

- **अधिकारों की रक्षा और नीतित प्रभाव:** भारत में नागरिक समाज संगठन सीमांत समूहों के लिये अधिकारों की रक्षा और नीतित नरिणयों को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - राष्ट्रीय दवियांग जन रोज़गार संवर्द्धन केंद्र (NCPEDP) जैसे संगठन इस समर्थन में सबसे आगे रहे हैं।
 - वे नागरिकों और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं तथा महत्त्वपूर्ण मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं।
 - अनुसंधान, अभियान और पैरवी प्रयासों के माध्यम से, नागरिक समाज संगठन कानून तथा सरकारी कार्यक्रमों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - उदाहरणस्वरूप, मज़दूर किसान शक्ति संगठन द्वारा शुरू किया गया **सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन** है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005 में RTI अधिनियम पारित हुआ।
 - इसका एक हालिया उदाहरण नागरिक समाज संगठनों की भूमिका है, जिन्होंने **दवियांग जनों के अधिकार अधिनियम, 2016** का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन और बाद में संशोधन हुए।
- **सामाजिक सेवा वतिरण:** सामाजिक संगठन सार्वजनिक सेवा वतिरण में कमी को दूर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सरकार की पहुँच सीमित है।
 - वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और आपदा राहत में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं तथा अक्सर सबसे कमज़ोर समुदायों तक पहुँचते हैं।
 - **कोविड-19 महामारी** के दौरान, CSO ने समुदायों की सहायता करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिये, एक प्रमुख CSO 'गुंज' ने 'राहत' अभियान शुरू किया।
- **शासन और जवाबदेही:** नागरिक समाज संगठन शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए नगिरानीकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं।
 - वे सरकारी कार्यक्रमों की नगिरानी करते हैं, सामाजिक ऑडिट का संचालन करते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जिसके

पारदर्शिता के अभाव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है।

- अपर्याप्त वित्तीय रपिपोर्टिंग, अस्पष्ट नरिणय-प्रक्रिया, तथा गतिविधियों और परणामों का सीमति सार्वजनिक प्रकटीकरण, कुछ संगठनों में जनता के वशिवास को खत्म कर रहा है।
- वर्ष 2019 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सरकारी आवंटित धन का दुरुपयोग करने और खर्च न की गई राशि वापस न करने के आरोप में **NGO इंडियन काउंसिलि फॉर चाइल्ड वेलफेयर (ICCW) के वरिद्ध FIR दर्ज की है।**
- पारदर्शिता की कमी से **जनता का वशिवास कम होता है।**
- **राजनीतिक धरुवीकरण:** भारत में बढ़ते राजनीतिक धरुवीकरण ने नागरिक समाज संगठनों, वशिष रूप से मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार या पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करने वाले नागरिक समाज संगठनों के लयि, चुनौतीपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया है।
 - **कुछ संगठनों पर "राष्ट्र-वशिधी" होने या भारत के हितों के वरिद्ध कार्य** करने के आरोप लगते हैं, जसिके कारण जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न होता है तथा कभी-कभी कानूनी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
 - वर्ष 2023 के वशिष **प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक** में भारत को **180 देशों में 161वाँ स्थान दिया गया है**, जो मुक्त अभवियक्ता पर व्यापक प्रतर्बिधों को दर्शाता है, जो नागरिक समाज संगठनों को भी प्रभावति करते हैं।
 - इस धरुवीकृत वातावरण ने कुछ संगठनों को सेल्फ-सेंसर करने या कुछ मुद्दों से बचने के लयि प्रेरति किया है, जसिसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से नपिटने में उनकी प्रभावशीलता सीमति हो सकती है।
- **सीमति सहयोग और कषेत्रीय वखिंडन:** भारत में CSO कषेत्र अक्सर संगठनों के बीच सीमति सहयोग और समन्वय से ग्रस्त रहता है, जसिके परणामस्वरूप परयासों का दोहराव और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।
 - **वतितपोषण और मान्यता के लयि प्रतर्सिपर्द्धा** कभी-कभी उन साझेदारियों में बाधा उत्पन्न करती है जो सामूहिक प्रभाव को बढ़ा सकती हैं।
 - यह वखिंडन न केवल नागरिक समाज के सामूहिक प्रभाव को कम करता है, बल्कि नीति और सामाजिक परिवर्तन के परयासों को भी कमजोर करता है।
- **प्रभाव मापन और रपिपोर्टिंग चुनौतियाँ:** CSO अक्सर अपने प्रभाव को प्रभावी ढंग से मापने और संप्रेषति करने में संघर्ष करते हैं, जो कि वतितपोषण को आकर्षति करने तथा हतिधारकों के लयि मूल्य प्रदर्शति करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
 - **कई संगठनों में मज़बूत नगरानी और मूल्यांकन प्रणालियाँ** या आकलन करने की कषमता का अभाव है।
 - प्रभावी मापन में यह अंतर न केवल संगठनों की अपने कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की कषमता को प्रभावति करता है, बल्कि दाताओं और नीति निर्माताओं के समकष अपने कार्य को उचित ठहराना भी कठनि बना देता है, जसिके परणामस्वरूप समर्थन और वतितपोषण में कमी आ सकती है।
- **डजिटिल वभिजन और तकनीकी चुनौतियाँ:** समाज के तेज़ी से डजिटिलीकरण ने **CSO कषेत्र के भीतर एक महत्त्वपूर्ण डजिटिल वभिजन** को उजागर कर दिया है।
 - जबकि कुछ संगठनों ने अपने कार्य के लयि प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है, कई, वशिष रूप से छोटे और ग्रामीण CSO, सीमति डजिटिल बुनियादी ढाँचे और कौशल के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
 - एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है कि **95% नागरिक समाज संगठनों का कहना है कि इंटरनेट उनके कार्य कषमता हेतु महत्त्वपूर्ण है**, जबकि 78% के पास ऐसा करने के लयि डजिटिल प्रौद्योगिकी उपकरणों का अभाव है।
 - यह डजिटिल वभिजन न केवल नागरिक समाज संगठनों की परचालन दक्षता को प्रभावति करता है, बल्कि तेज़ी से **डजिटिल वशिष में उनकी पहुँच और प्रभाव को भी सीमति करता है।**
- **स्वयंसेवक प्रबंधन और प्रतर्धारण:** कई नागरिक समाज संगठनों को स्वयंसेवकों को आकर्षति करने, प्रबंधति करने और बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर उनके संचालन के लयि महत्त्वपूर्ण होते हैं।
 - **स्वयंसेवकों की उच्च टर्न-ओवर रेट और सीमति दीर्घकालिक प्रतर्बिधता** कार्यक्रम की नरितरता तथा संगठनात्मक विकास को बाधति कर सकती है।
 - एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार **78% ने स्वयंसेवी कार्यक्रमों में कर्मचारियों की भागीदारी की सूचना दी**, जबकि केवल **26% ने स्वयंसेवकों की संख्या** तथा **39% ने स्वयंसेवी घंटों की संख्या** की सूचना दी।
 - स्वयंसेवी सहभागति में यह असंगतता, दीर्घकालिक परयोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रयिान्वति करने तथा टकिारु सामुदायिक संबंध बनाने में नागरिक समाज संगठनों के लयि चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

भारत में CSO की भूमिका बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति और सरल बनाना:** सरकार आवश्यक नयित्रण बनाए रखते हुए **CSO के लयि नौकरशाही बाधाओं को कम करने हेतु FCAR और अन्य वनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति कर सकती है।**
 - इसमें पंजीकरण और अनुपालन के लयि एकल-खडिकी मंजूरी प्रणाली बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करने के लयि प्रक्रियाओं का डजिटिलीकरण करना तथा अनुमोदन के लयि स्पष्ट समय-सीमा नरिधारति करना शामिल हो सकता है।
 - **वनियमन के लयि जोखमि-आधारति दृष्टिकोण** को लागू करना, जहाँ अनुपालन के ट्रैक रिकॉर्ड वाले संगठनों को कम प्रतर्बिधों का सामना करना पड़ता है, भी लाभकारी हो सकता है। **उदाहरण के लयि, गृह मंत्रालय द्वारा FCRA वार्षिक रटिर्न को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देने** की पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे सभी वनियामक संवाद को कवर करने के लयि वसितारति किया जा सकता है।
- **घरेलू परोपकार और CSO साझेदारी को बढ़ावा देना:** कर प्रोत्साहन और सरलीकृत दान प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू परोपकार को प्रोत्साहति करने से वदिशी वतितपोषण में गरिावट को कम करने में मदद मलि सकती है।
 - सरकार पंजीकृत नागरिक समाज संगठनों को दयि जाने वाले वतितपोषण हेतु **आयकर अधनियम की धारा 80G के अंतर्गत कर कटौती की सीमा बढ़ाने पर वचिार कर सकती है।**
 - इसके अतरिकित, **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायितित्व (CSR)** पहल के तहत **CSO और कॉर्पोरेट्स के बीच मज़बूत साझेदारी को**

सुवर्धनक बनाने से स्थायी वृत्तिपोषण स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं।

- अन्य देशों के सफल मॉडलों के समान, एक **राष्ट्रीय CSR-CSO मलिन मंच बनाने** से सहयोग और संसाधन आवंटन दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास में निवेश:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से संभावित रूप से वृत्तिपोषण, नागरिक समाज संगठनों के लिये राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की स्थापना से **डिजिटल साक्षरता, वृत्तीय प्रबंधन तथा प्रभाव माप जैसे क्षेत्रों में कौशल अंतराल को दूर किया जा सकता है।**
 - यह कार्यक्रम **ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल**, मार्गदर्शन के अवसर और विभिन्न संगठनात्मक आकारों तथा केंद्रित क्षेत्रों के अनुरूप संसाधन प्रदान कर सकता है।
 - शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सहयोग करने से **वैशेषज्ञता और संसाधन** प्राप्त हो सकते हैं।
 - हाल ही में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जिसका लाभ उठाकर CSO प्रबंधन को फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना:** एक व्यापक, उपयोगकर्ता-अनुकूल राष्ट्रीय CSO डेटाबेस विकसित करना जिसमें वृत्तीय रिपोर्ट, कार्यक्रम परिणाम और प्रभाव आकलन शामिल हों, पारदर्शिता में सुधार कर सकता है तथा सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकता है।
 - इस प्लेटफॉर्म को **गाइडस्टार जैसे सफल अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के आधार पर तैयार किया जा सकता है**, जैसे भारतीय संदर्भ के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
 - नागरिक समाज संगठनों को मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रारूप अपनाने तथा **स्वैच्छक तृतीय-पक्ष ऑडिट कराने के लिये प्रोत्साहित करने** से विश्वसनीयता में और वृद्धि हो सकती है।
 - सरकार उच्च पारदर्शिता मानकों को बनाए रखने वाले संगठनों को **शीघ्र अनुदान अनुमोदन या कर प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान करके इन प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकती है।**
- **सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना:** क्षेत्रीय और क्षेत्रीय CSO नेटवर्क या गठबंधन बनाने से सहयोग में वृद्धि हो सकती है, **प्रयासों का दोहराव कम हो सकता है, तथा सामूहिक प्रभाव बढ़ सकता है।**
 - इन नेटवर्कों को नियमित सम्मेलनों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
 - **मुद्दा-आधारित संघों के गठन को प्रोत्साहित करना**, जहाँ समान विषयों पर कार्य करने वाले नागरिक समाज संगठन संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करते हैं, इससे अधिक प्रभावी हस्तक्षेप हो सकता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को लागू करना:** नीति निर्माण और कार्यान्वयन में CSO की भागीदारी के लिये औपचारिक तंत्र स्थापित करने से सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
 - इसमें **प्रासंगिक सरकारी समितियों में CSO का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना**, नियमित परामर्श मंचों का निर्माण करना, तथा नीतिगत निर्णयों में CSO द्वारा उत्पन्न आँकड़ों और अनुसंधान को शामिल करना शामिल हो सकता है।
 - **नीति आयोग की नीतिगत चर्चाओं में नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने की हाल की पहलों का विस्तार** किया जा सकता है तथा उन्हें सभी सरकारी विभागों में संस्थागत रूप दिया जा सकता है, ताकि नीति निर्माण में विविध तथा जमीनी स्तर के दृष्टिकोणों को शामिल करना सुनिश्चित हो सके।
- **डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना:** प्रौद्योगिकी अपनाने में संगठनों को सहायता देने के लिये **'डिजिटल CSO'** पहल शुरू करने से उनकी दक्षता और पहुँच बढ़ सकती है।
 - इसमें **डिजिटल उपकरणों तक रियायती पहुँच प्रदान करना**, डिजिटल परिवर्तन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षेत्र के भीतर नवीन तकनीकी समाधानों को साझा करने के लिये मंच स्थापित करना शामिल हो सकता है।
 - **नवाचार नधि के माध्यम से प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने से भारत-वर्षित समाधानों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।**
 - सरकार की **डिजिटल इंडिया पहल** का विस्तार सामाजिक क्षेत्र की डिजिटल आवश्यकताओं को वैशेष रूप से पूरा करने के लिये किया जा सकता है।
- **सामाजिक उद्यम मॉडल के माध्यम से वृत्तीय स्थिरता को बढ़ाना:** सामाजिक उद्यम दृष्टिकोण को शामिल करके **स्थायी राजस्व मॉडल** विकसित करने के लिये CSO को प्रोत्साहित करने से दाताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
 - इसे वैशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, **सामाजिक उद्यमों के लिये कम ब्याज दर वाले ऋणों तक पहुँच** तथा CSO उत्पादों एवं सेवाओं के लिये बाजार का निर्माण करके समर्थित किया जा सकता है।
 - सतत मॉडल विकसित करने में **गूँज** जैसे संगठनों की सफलता इस दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- **प्रभाव मापन और रिपोर्टिंग को मज़बूत बनाना:** CSO कार्य के विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप मानकीकृत प्रभाव मापन ढाँचे का विकास करने से प्रभाव को प्रदर्शित करने और संप्रेषित करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
 - **इसे राष्ट्रीय प्रभाव माप संसाधन केंद्र** बनाकर समर्थित किया जा सकता है, जिसमें इन ढाँचों को लागू करने के लिये नागरिक समाज संगठनों को प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान किया जा सकता है।
 - वास्तविक समय डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने से प्रभाव रिपोर्टिंग की सटीकता और समयबद्धता में सुधार हो सकता है।
 - सरकार **कुछ नशिचित नधियों या लाभों तक पहुँच के लिये मानकीकृत प्रभाव रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकती है**, जिससे पूरे क्षेत्र में इसे अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **जन सहभागिता और स्वयंसेवा को बढ़ावा देना:** स्वयंसेवा और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये **राष्ट्रीय अभियान** शुरू करने से CSO गतिविधियों में जन समर्थन और भागीदारी बढ़ सकती है।
 - इसमें **सामुदायिक सेवा को सकल पाठ्यक्रम में शामिल करना**, राष्ट्रीय स्वयंसेवक डेटाबेस तैयार करना, तथा स्वयंसेवी कार्य के लिये शैक्षणिक क्रेडिट या कौशल प्रमाण-पत्र जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल हो सकता है।
 - **संभावित स्वयंसेवकों को नागरिक समाज संगठनों से जोड़ने के लिये सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से सहभागिता को सुचारू बनाया जा सकता है।**

नषिकरषः

भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और नीतिसुधार को प्रभावित करने के लिये नागरिक समाज संगठन अपरहिर्य हैं। अपनी क्षमता, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ाने के उपायों को लागू करके, नागरिक समाज संगठन एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने हेतु सरकार और नागरिक समाज को एक साथ मलिकर ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा जो इन संगठनों को समर्थन दे और उन्हें अपने मशिन को पूरा करने में सक्षम बनाए।

???????? ???? ???? ???? ????:

भारत में सामाजिक न्याय और नीतिसुधार को बढ़ावा देने में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इन संगठनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये उनके भीतर जवाबदेही को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्नः

??????

- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिये भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मज़बूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिये। (2015)
- वदिशी अंशदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के वदिशी वतितपोषण को नयित्तरति करने वाले नयिमों में हाल के बदलावों की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। (2015)
- क्या सविलि सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ पहुँचाने के लिये सार्वजनिक सेवा वतितरण का कोई वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक मॉडल की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (2021)
- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विकास के लिये दाता एजेंसियों पर बढ़ती नरिभरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को कम करती है? अपने उत्तर का औचित्य बताइये। (2022)
- विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से नपिटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और नजी क्षेत्र के बीच किस तरह का सहयोग सबसे अधिक उत्पादक होगा? (2024)
- सार्वजनिक धर्मार्थ टरस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टपिपणी कीजिये। (2024)